T.S. 06/19

आदेश

वादी के दिनांक 25-01-19 के आवेदन आदेश 26 नियम 9; के आलोक में अधिवक्ता श्री त्रिपुरारी शरण पाठक को अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया गया।

अधिवक्ता आयुक्त अपने प्रतिवेदन में दर्शाया है कि उक्त आवेदन के आलोक में विवादित भूमि पर दिनांक 03-04-19 को दोनों पक्षकारों के अधिवक्ता पक्षकारों, एवं ग्रामिणों के सहयोग से विवादित भूमि का पहचान कर अपना जाँच प्रारम्भ किया। जिसमें पाया है। कि विवादित भूमे पर एक नया दिवाल जो पुरब से पश्चिम 27 फीट लम्बा, वो 3 फीट ऊँचा, जिसमें जगह-जगह छड़ का स्टेपनर भी निकला हुआ है जो मुड़कर उत्र की ओर 14 फीट लम्बा वो 3 फीट ऊँचा है जो पुनः पुरब से पश्चिम की ओर छड़ जा रही है। जो 4 फीट खाली जमीन के बाद खपड़ा फोम का घर जिसका दिवाल ईट से बना हुआ है जिसकी लम्बाई 18 फीट X 11 फीट है जिसके पश्चिम एक नव निर्मित पक्का ईट का 15X15 फीट लम्बा, वो 11X11 फीट चौड़ा वो 11 फीट ऊँचा कोठरी है। जिसके पूर्व दिवाल से दरवाजा भी लगा है वो ऊपर छत हलवेस्टर का है वो पश्चिम की दरवाजा को नया ईट रखकर उसको जाम किया गया है वो पश्चिम 38 फीट लम्बा वो 3 फीट X 9 इंच ऊँचा दिवाल है। दिवाल के दक्षिण तरफ खाली जमीन है जिसमें ईट का टुकड़ा करीब 500, वो पुराना लकड़ी वो बांस रखा हुआ है वो विवादित जमीन के दक्षिण

से सटे दक्षिण एक रास्ता है जो विवादीत जमीन के दक्षिण से होकर पुरब रोड़ पर निकलती है विवादीत जमीन पर एक सेप्टी, पैखाना टंकी, दो-चापाकल, एक बरवाड़ी, नींबू का एक पेड़, आम वो केला के पेड़ लगा है जो तार से घिरा है एक पैखाना, पुराना लकड़ी, अपना प्रतिवेदन में अंकित किया है प्रतिवेदन के साथ फिल्डबुक भी दाखिल किया है जिसपर उभयपक्षों, उभयपक्षों के अधिवक्ता एवं गवाहों का हस्ताक्षर है।

अत: उभयपक्षों को निर्देश दिया जाता है कि अधिवक्ता आयुक्त के प्रतिवेदन के अनुसार निषेधाज्ञा आवेदन के निष्पादन तक विवादीत जमीन पर यथास्थिति बनाये रखें।